Vol.-V, No.-2

ISSN - 2231 1483

Wisdom Herald

An International Research Journal of SITBS

SOCIETY FOR INDO-TIBETAN BUDDHIST STUDIES

Laxminagar, New Delhi (INDIA)

"तुलसी, सगुण है अथवा निर्गुण? एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" 131-136
अनिल कुमार

लोहिया का समाजवाद एवं रघुवीर सहाय का चिंतन 137-142
विजयश्री कश्यप

"श्रीमद्भगवद्गीता में उपदिष्ट 'स्वधर्म'–एक अनुशीलन" 143-148
मनु प्रकाश त्रिपाठी

भारत में विविध व्यवस्था (लॉ एण्ड आर्डर) की समस्याएँ 149-152
डॉ० दिनेश कुमार

भारतीय पुलिस आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था 153-158
राजीव रौशन

वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण
और संस्कृत साहित्य 159-164
डॉ. रामदेव गौतम

कार्ल मार्क्स एवं महात्मा गाँधी के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन 165-170
डॉ० ललित कुमार

कौटिल्य के राज्य के कार्य सम्बन्धी विचार 171-176
डॉ० वासुकीनाथ सिंह

साहित्यदर्पण के आलोक में मालविकाग्निमित्र नाटक 177-190
डॉ. शशिकुमार सिंह

मध्यकालीन भारत में हिन्दू-मुस्लिम सद्भावना की स्थापना
में अकबर की भूमिका 191-196
इमरान हसन

कृष्णा सोबती के कहानियों की मुख्य समस्यायें "बादलों के घेरे"
के विशेष संदर्भ में 197-204
राजू कुमार

लार्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति एवं 1857 का विद्रोह 205-210
मनीष कुमार

भारत में विधि व्यवस्था (लॉ एण्ड आर्डर) की समस्याएँ

डॉ. विनेश कुमार*

प्रजातांत्रिक समाज में कुछ तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखना एक नाजुक समस्या है जैसे व्यक्ति स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा नियंत्रण, जन आंदोलन, जनता की उदासीनता, हिंसा तथा विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था बनाए रखना देश की प्रतिरक्षा से जुडा हुआ है और कम महत्व का विषय नहीं है, और राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है तथा देश के स्थायित्व एवं नागरिकों की खुशी के लिए आवश्यक है। विधि व्यवस्था विकासशील राज्यों के प्रशासन को मिल गया है, जिसके फलस्वरूप एक नयी दिशा मिली है क्योंकि विकसित प्रशासन की सफलता के लिए स्थायी तथा विधि-युक्त, आंतरिक गड़बड़ी से मुक्त समाज चाहिए।

विधि व्यवस्था की बात करेंगे या विश्लेषण करेंगे तो यह पायेंगे कि विधि और व्यवस्था को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते,दोनो अभिन्न इकाई है। इसके लिए विधि का शासन होना चाहिए जिसके अनुपालन से बिना विभेद के सभी को सुरक्षा प्राप्त हो सकेगा। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का भी सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन वह नागरिक अधिकारियों के निगरानी में हो, पुलिस की मनमानी से नहीं। विधि और व्यवस्था का बहुत विस्तृत अर्थ तथा शब्द विस्तार में परिभाषा देना संभव नहीं है फिर भी कुछ विद्वानों के शब्दों में चर्चा करना भी आवश्यक है। यू0 एस0 ए0 के राष्ट्रपति बुड्रो विल्सन के अनुसार यह स्थापित विचार तथा व्यवहार का हिस्सा होता है, जिसे समाज में एकरूपता के रूप में मान्यता मिली हो, और सरकार की सत्ता तथा शक्ति उसको भरपुर समर्थन दे। आस्टिन ने लिखा है कि विधि सार्वभौम शक्ति की आज्ञा है। टी0 एच0 ग्रीन लिखा है- ऐसे अधिकार और कर्तव्य का दायित्व जो लागू करता है। हमारे संविधान आरटिकल 13 (3) ए में लिखा है कि विधि वहीं है जो लागू है, जिसमें विधि,अध्यादेश,सरकार के आदेश उपविधित सरकार की विज्ञप्ति, परम्परा, व्यवहार भारतीय क्षेत्र में लागू है। संसद और विधानसभा द्वारा पारित विधि ऐसे विधि जिनको रद्द नहीं किया गया हो या जो विधि क्रियान्वित नहीं हो रहे हों।

यद्यपि व्यवस्था आधुनिक समय में अनुपात से अधिक धारणा बन गई है इसको विधि से अलग परिभाषित करना या गड़बड़ी ना होना भी विधिवत होगा। व्यवस्था अच्छे प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, जिससे सभ्यता बची रह सके,

*एम.ए., एल.एल.बी., पी.एचडी. पटना विश्वविद्यालय

इसलिए व्यवस्था परमावाश्यक है, और विधि भी परमावश्यक है और इसको क्रियान्वित करना भी परमावश्यक है। सर्वोत्तम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में विधि व्यवस्था जन व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को परिभाषित किया है, और अंतर भी बतलाया है। ये तीनों सब काल्पनिक केन्द्रित वृत के समान हैं, जिसका नीचे का वृत राज्य की सुरक्षा, दूसरा वृत जन व्यवस्था, और तीसरा जो सबसे बड़ा है उसका संबंध विधि व्यवस्था से है।

विधि व्यवस्था की आवश्यकता क्यो १. .ी है क्योंकि देश में सुशासन चल सके और जनता शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। अतः यह तभी संभव होगा जब समाज में, देश में, हर क्षेत्र में विधि व्यवस्था को मान्यता दी जाय। हम तानाशाही व्यवस्था में नही रहते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जहाँ जनता की मांग उसकी आवाज पर ध्यान दिया जाता है शासन के अंग अपना कार्य करती है, पर साथ ही साथ उनपर नियंत्रण भी किया जाता है, उनको बेलगाम नही छोड़ा जाता है, उनको विधि को मानते हुए व्यवस्था करनी पड़ती है विधि की उपेक्षा करते हुए नहीं।

अन्य विशेषज्ञ के अनुसार विधि व्यवस्था में विधि का शासन हो, मानवीय अधिकारों का संरक्षण हो, दक्ष और ईमानदार सरकार हो तथा सरकार के काम में पारदर्शिता एवं खुलापन हो। आर्थिक और सामाजिक स्तर का नियंत्रण तथा विकास बिना विधि व्यवस्था के तथा दृढ संगठन के संभव नही है। इसीलिए विधि व्यवस्था की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, फिर भी यह किसी राज्य, प्रशासन, विकास, तथा जन अधिकारों की रक्षा के लिए एक आवश्यक तत्व है।

अब हम कुछ विशेष समस्याओं की चर्चा करेंगे जो विधि व्यवस्था बनाये रखने में चुनौतियाँ खड़ी करती हैं –

1. **हिंसात्मक अपराध में अधिक बढ़ोत्तरी** :- इसमें कोई संदेह नही कि विधि व्यवस्था बनाये रखना किसी भी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आधारशिला होती है। बढती हुई आबादी भी अपराध की वृद्धि में अपना योगदान करती ही है, जो देश भर में अपराधी क्रियाओं के ग्राफ को बढ़ा रहे हैं।

2. **युद्धरत (मिलिटेन्ट) तथा शहरों में और नये ढंग के अपराध** :- युद्धरत संगठनों ने विस्फोटक स्तरों का व्यवहार कर अपराध को एक नया मोड़ दिया है, जिससे हिंसायुक्त अपराध बढ़ा है। आर्म्स एक्ट और विस्फोटक के संबंध में अपराधों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्व में उग्र आंदोलन,बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ आदि राज्यों में वामपंथी आंदोलन के कारण भी हिंसायुक्त अपराध में अधिक बढोत्तरी हुई है। आर.डी.एक्स का उपयोग रिमोट नियंत्रण द्वारा बम विस्फोट, स्वचालित हथियार, बड़ी संख्या में पूर्व नियोजित हत्याएँ यह सभी विधि व्यवस्था को बनाये रखने में नई चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।

3. **जातीय एवं साम्प्रदायिक हिंसा** :- सम्प्रदाय या साम्प्रदायिक हिंसा भारत के लिए कोई नई बात नही है, यहाँ साम्प्रदायिक हिंसा होती रहती है, पर सम्प्रदाय बिना हिंसा के भी विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी कर सकती है। साम्प्रदायिक एक आदर्श है जो बिना हिंसा के रह नहीं सकता। यह साम्प्रदायिक तनाव का नतीजा होता है, जो सम्प्रदाय के बीच पूर्वाग्रह, संघर्ष, हिंसा आदि परस्पर से संबंधित है जो अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए साम्प्रदायिक हिंसा का सहारा लेते हैं।

4. **उत्तर-पूर्व के विद्रोही समूह** :- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सा विद्रोहियों की गतिविधि से अस्थिर तथा गड़बड़ी का क्षेत्र बना हुआ है, आसाम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में उल्फा का आतंकी हिंसा बढ़ता ही जा रहा है। उल्फा संगठन पहले अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मिटाने का काम करता था, परन्तु अब वे महत्वपूर्ण स्थानीय इकाइयों को अपना लक्ष्य बना रहे है, जैसे पेट्रोल पाईप लाईन, ट्रेन का आवागमन। राज्यों के अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए हिंसात्मक कार्यवाही कर रहे हैं, इसकी गतिविधियों से इस क्षेत्र का औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है। यह समस्या विधि व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करता है।

5. **वामपंथी विचारों का चरम उत्थान तथा हिंसा में वृद्धि** :- माओवाद, नक्सलवाद जो हिंसा में विश्वास रखता है, वह कुछ राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में जनता समर्थित समूह ने बहुत से नरसंहार किये हैं विशेष कर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को अपना निशाना बनाते हैं। लेण्ड माइन्स तथा नये-नये अस्त्रों का प्रयोग कर बड़ी संख्या में नरसंहार करते हैं। इनकी हिंसात्मक कार्यवाही विधि व्यवस्था रखने वालों के सामने बहुत बड़ी समस्या के रूप में उठी है, अब तो इसमें निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया गया है, बस, ट्रेन को भी निशाना बना निर्दोष व्यक्तियों को मारने में भी नहीं हिचकते हैं।

इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था बनाये रखने वाले के समक्ष एक और संगठन की वृद्धि हुई है व्यक्तिगत जातीय सेना। भूमिहार, राजपुत, यादव आदि जाति अपनी-अपनी सेना बनाकर दूसरों को लूटपाट आगलगी, जबरन वसूली आदि करते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्रदान होता है। ऐसी सेनाए भी विधि व्यवस्था के लिए एक समस्या के रूप में उभरी हैं। इसके अतिरिक्त नये-नये अपराध जैसे अपहरण, जबरन धन वसूली, किसानों से लेवी लेना, ठेकेदारों से पैसा वसूलना, नहीं मिलने पर उनके यंत्रों को आग लगाना इत्यादि जो विधि व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी करते हैं।

मानव अधिकार की जानकारी भी हमारे देश में नहीं के बराबर है, जो विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी करता है।विधि व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। आज आम आदमी से लेकर मंत्री, नेता, अधिकारी चाहे वे नागरिक सेवा के हो या

पुलिस सेवा के सभी इसमें लिप्त हैं, जो विधि व्यवस्था को प्रभावित करता है। अं यह ऐसी समस्या है जिनका अंत निकट भविष्य में नही दिखलाई पड़ता है।

अगर सही मायने में विधि व्यवस्था को सुदृढ बनाना चाहते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते है तब स्वच्छ ईमानदार दक्ष प्रशासन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

सन्दर्भः-

1. P.V.S. nenol - our goals for 21st century economic social administration.
2. Ibid
3. Aradhana Parmar - A study of Kautilya Arthshastra
4. Report of the Jaipur enquiry commission report tribunal commission, p. 123 in command disturbance October, 1990.
5. M.K. Narayanan : National security internal dimension.
6. M.K. Narayanan : The 21st century and challejes facing the policy
7. The pioneer New Delhi, August - 13, 1998